<u>पश्चिम मध्य रेल</u>

क्र.सीएससी/जेबीपी/अभियोजन/१४.

कार्यालय
महानिरीक्षक-सह-मुख्य सुरक्षा आयुक्त
रे.सु.ब./प.म.रेल/जबलपुर
दिनांक-३०.१०.२०१४

उप मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता (टेली.)
<u>पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर</u>

विषय-माह सितंबर-२०१४ में पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में रेल अधिनियम एवं रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण।

,,,,,

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइड में अंकित करने का श्रम करें।

संलग्न/- ०४ पेज ।

सहायक सुरक्षा आयुक्त (अभियोजन)
<u>रे.सु.ब./मुख्यालय/जबलपुर</u>

रेल संपत्ति (वि.वि.क.) अधिनियम के तहत माह सितंबर–२०१४ में पंजीकृत मामले

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह सितंबर–१४

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
सितंबर–१४	४०	४१	५४८०५	५४८०५	६८	०१	००

बुकशुदा संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह सितंबर–१४

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
सितंबर–१४	०१	००	२०५००	००	००	००	००

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह सितंबर–१४

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
सितंबर–१४	४१	४१	७५३०५	५४८०५	६८	०१	००

रे.सु.ब. द्वारा माह सितंबर-१४ के दौरान
किये गये अच्छे कार्यो ब्यौरा

०१. दिनांक २२.६.२०१४ को समय करीबन २२.४५ बजे एक व्यक्ति नाम बसन्त लाल सोधिया पुत्र श्री छोटे लाल सोधिया, उम्र ३५ साल निवासी सोहागपुर, वार्ड नं. ०५, तहसीली के सामने, थाना कोतवाली, शहडोल ने रेल सुरक्षा बल पोस्ट जबलपुर में उपस्थित होकर सूचना दी कि उसकी नाबालिग पुत्री प्रियंका सोधिया, उम्र १६ वर्ष को मेरे उक्त निवास से दिलीप तिवारी उम्र २५ वर्ष नामक लड़का भगाकर ले गया है, जिसकी एफआईआर कोतवाली थाना, शहडोल में अपराध क्रमांक ६११/१४ अन्तर्गत धारा ३६३ आईपीसी के तहत् दर्ज है। सूचना प्राप्त हुई कि मेरी पुत्री व लड़का जबलपुर स्टेशन में है। उक्त सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक महेश प्रसाद मिश्रा व आरक्षक वीरेन्द्र सिंह, रे.सु.ब. जबलपुर पोस्ट के स्टाफ उक्त व्यक्ति के साथ प्लेटफार्म क्रमांक ०४ के आखिरी छोर पर पहुचें जहां पर दोनों लड़का-लड़की मिले। इसकी सूचना शहडोल पुलिस को देने पर कोतवाली थाना, शहडोल की उपनिरीक्षक अनुसईया को दिया गया। दिनांक २३.६.२०१४ को उपनिरीक्षक अनुसईया के रेल सुरक्षा बल पोस्ट जबलपुर आने पर लड़का व लड़की को उसके पिता बसंत लाल के समक्ष समय ०५.३० बजे सुपुर्द किया गया।

०२. दिनांक २६.६.२०१४ को दौराने गश्त उपनिरीक्षक आर.पी.गर्ग एवं प्र.आर. के. जी. शुक्ला, कटनी पोस्ट को रेलवे स्टेशन कटनी में एक बालक को लावारिस हालत में रोते हुए देखा। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम जतिन यादव वल्द कैलाश यादव, उम्र ०६ वर्ष निवासी आम चौपरा, थाना देहात दमोह, जिला दमोह, म. प्र. बताया तथा अपने पिता का मोबाइल नं. ९८८४०३३७४४ बताया तथा अपने परिवार से मैहर में बिछड़ गया। मैंहर में वह कटनी के लिए ट्रेन में चढ़ गया तथा उसके परिजन उस गाड़ी में नही मिल रहे है। बालक के पिता कैलाश यादव को सूचित किया गया। उसके परिजनों के आने पर बच्चे की पहचान करने पर बच्चे के पिता श्री कैलाश यादव वल्द बलीराम यादव, उम्र ४० वर्ष को मुताबिक सपुर्दनामा समक्ष दो गवाहान बिना किसी शिकवा-शिकायत के सुपुर्द किया गया।

०३. दिनांक १४.०६.२०१४ को गाडी संख्या १२८५३ अमरकंटक एक्सप्रेस के भोपाल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर ०४ पर आगमन पर दौराने सफाई कर्मचारी सुनील द्वारा डियूटी पर तैनात रेसुबल स्टाफ प्रधान आरक्षक योगेन्द्र सिंह को सूचना दी गई कि स्लीपर कोच एस-१० मे एक ट्राली बेग लावारिस हालत मे पड़ा है सूचना उपनिरीक्षक राजपति राम एवं सउनि एच.पी.शर्मा के द्वारा श्वान हैंडलर सुनील कोरी श्वान जैंकी के साथ मौके पर उपस्थित हुए और बैग को चेक किया। दो गवाहो के समक्ष बैग मे मिले सामान की सूची तैयार कर बैग के साथ एलपीओ क्रमांक-११४ पर दिनांक १४.०६.२०१४ को पार्सल कार्यालय भोपाल मे जमा कराया गया।

०४. दिनांक११.०६.२०१४ को गाडी क्रमांक १२१६७ डाउन दादर वाराणसी एक्सप्रेस के इटारसी स्टेशन प्लेटफार्म क्रमांक ०१ पर समय १३.३० आगमन उपरांत गाडी के फ्रन्ट एसएलआर नंबर सीआर-८६७११ के द्वितीय कम्पार्टमेंट को रेसुबल पोस्ट इटारसी के उप निरीक्षक विजय सिंह हमराह स्टाफ प्रधान आरक्षक ओम प्रकाश झारिया एवं मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक इटारसी के साथ संयुक्त चैकिंग के दौरान गवाह जावेद खान के समक्ष खुलवाया गया । माल के साथ प्रयुक्त मैनीफेस्टो के अनुसार उक्त माल का वजन ३७५० किलोग्राम तथा लीज होल्डर (पार्टी) का नाम आर.डी.लोजिस्टिक कुर्ला मुम्बई था। क्षमता से अधिक माल होने की संभावना पर सभी पेकेजो का उतरान किया गया। उक्त ६७ पैकेजो का कुल वजन ४७१० किलोग्राम पाया गया जो क्षमता से ७१० किलोग्राम अधिक था। पार्टी पर लगभग ४७४०० रुपये जुर्माना किया गया है। दिनांक १४. ०६.१४ के दोपहर तक अपने माल को इटारसी स्टेशन प्लेटफार्म से नही हटाने के कारण उस पर स्थान शुल्क ४५५० रुपये लगाया गया।

०५. दिनांक २३.०६.२०१४ को गाडी क्रमांक १२७२२ दक्षिण एक्सप्रेस के इटारसी स्टेशन प्लेटफार्म क्रमांक ०३ पर समय १२.४५ बजे आगमन उपरांत गाडी के फ्रन्ट एसएलआर नंबर एससी-१२७२६ के द्वितीय कम्पार्टमेंट को रेसुबल पोस्ट इटारसी के उप निरीक्षक विजय सिंह हमराह स्टाफ प्रधान आरक्षक राजाराम अहिरवार एवं मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक इटारसी के साथ संयुक्त चैकिंग के दौरान उक्त कम्पार्टमेंट को निजामुददीन से हैदराबाद सील तथा पार्टी लॉक लगा पाया गया, जिसे समक्ष गवाह जावेद खान के समक्ष खुलवाया गया तथा माल के साथ प्रयुक्त मैनीफेस्टो के अनुसार उक्त माल का वजन ३६६० किलोग्राम तथा लीज होल्डर (पार्टी) का नाम शखी कार्गो (राजकुमार) पहाडगंज नई दिल्ली था। पार्सल कार्यालय इटारसी द्वारा उतरान किये गये माल का वजन किये जाने पर उक्त ३४६ पैकेजो मे कुल वजन ८०३० किलोग्राम पाया जबकि रेलवे पार्सल नियमानुसार उक्त कम्पार्टमेंट की भार वहन क्षमता ४००० किलोग्राम (चार टन) है। मामले मे उक्त कम्पार्टमेन्ट मे उसकी भार वहन क्षमता से ४०३० किलोग्राम अधिक माल लोड किया जाना पाये जाने पर पार्सल कार्यालय इटारसी द्वारा

पार्टी पर लगभग २०६०७० रुपये जुर्माना किया गया है। पार्टी द्वारा दिनांक २३.०६.२०१४ को ही जुर्माना राशि बुकिंग कार्यालय इटारसी मे जमा करा दी गई जिसका नकदी रसीद क्रमांक ४७६७५५ है।

०६.दिनांक १५.०६.२०१४ को निरीक्षक/कोटा पोस्ट श्री प्रताप सिंह ने दौराने रेलवे एक्ट दो व्यक्तियों १. आमिर भोख उर्फ गोलू पुत्र जलाउद्दीन, उम्र-१६ वर्श, २. सदान खॉन उर्फ सद्दू पुत्र रईस उम्र-१६ वर्श, दोनो निवासी- सुकेत रोड़, रामगंजमण्डी, जिला-कोटा (राज०) को पकड़ा तथा संदिग्ध लगने पर पूछताछ करने पर बताया कि को रामगंजमण्डी भाहर में महिला अध्यापिका के घर से चोरी कर कानपुर जाना बताया। सिविल पुलिस/रामगंजमण्डी से सम्पर्क करने पर उन्होने बताया कि दिनांक १३.०६.२०१४ को रामगंजमण्डी भाहर में महिला अध्यापिका नाम संतोश बाई भार्मा के घर का ताला तोड़कर मगलसूत्र, पाईजेब, कमरबन्द चोरी करना बताया। सिविल पुलिस/रामगंजमण्डी से प्र०आर० रतनलाल मय स्टॉफ कोटा आये व लिखित तहरीर देने पर उक्त दोनो व्यक्तियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया।

०७.दिनांक २१.०६.२०१४ को मं.सु.नि.कक्ष आगरा की सूचना पर कि गाडी नं० १२०६० जन-शताब्दी मे कोच के डी/१० की बर्थ नं० ५८,५६,६० पर एक काले रंग का बैग छूट गया है। मं.सु.नि.कक्ष कक्ष कोटा की सूचना पर सउनि/यतेन्द्र सिंह ने गाडी नं० १२०६० जन-शताब्दी मे कोच नं० डी/१० की बर्थ नं० ५८,५६,६० पर एक काले रंग का बैग उतारकर रेसुब थाना लाया गया। बाद समय करीबन १८.३० बजे बैग मालिक श्री अनिल कुमार को पार्सल बाबू भरतपुर के समक्ष बैग खुलवाकर देखा जिसमे एक जमीन की मूल रजिस्ट्री कागजात, एक जोडी पेन्ट भार्ट, दो तोलिया, दवाईयां मिली जिसको अनिल कुमार ने अपना होना बताया और अपना ड्राइविंग लाइसेंस तथा आयकर प्रमाण पत्र की छायाप्रति पेश किया पूर्ण संतुष्टि होने पर दो स्वतंत्र गवाहों के सामने सुपुर्दगीनामा के तहत सुपुर्दगी समय १६.०० बजे दी गई। उक्त बैग मे कोई रूपये, पैसे, जेवर आदि नही होना बताया।

०८.दिनांक २६.०६.२०१४ को सउनि/भरतपुर धर्मपाल सिंह ने नोट कराया कि गाडी सं. १२०३६ के जीआरपी स्टाफ एवं सीटीआई ओमप्रकाश चतुर्वेदी, टीएस आर.सी. मीना द्वारा लिखित तहरीर के साथ कोच नं. सी/१ से एक लडकी को उतारा जिसका नाम पता अज्ञात लिखित में दिया। बाद पूछताछ करने पर लडकी ने अपना नाम चमन पुत्री जाकिर, उम्र-८ वर्ष, निवासी-नथुआ नगला, जिला-आगरा बताया। बाद स्टेशन प्रबन्धक के समक्ष पूर्ण कार्यवाही के उक्त लडकी को चाईल्ड लाईन भरतपुर को सुपुर्द किया गया।

०६.इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर ३२६ व्यक्तियों के विरुद्ध **तम्बाकु अधिनियम** (Prohibition of advertisement and regulation of trade, production, supply and distribution Act, 2003) के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे ६५,२००/-रू. का जुर्माना वसूल किया गया।

रेल अधिनियम के तहत माह सितंबर-२०१४ में की गई कार्यवाही का विवरण :-

धारा	पंजीकृत मामले	जुर्माना रू. में
१३७	३५०४	१७८३६३०
१३८	६४७६	४६६५३५५
१३६	०	०
१४१	३३७	१४७६१५
१४२	०	०
१४३	२	०
१४४	१४१२	३८२६६५
१४५	७३५	५४७००
१४६	१३	५६१५
१४७	४२८	८०२६०
१५३	२	०
१५४	११	२८६७०
१५५	८६६	३४५००
१५६	२७४	१६५००

१५७	०	०
१५९	४८२	३८०००
१६०	४	१००
१६१	०	०
१६२	१२०३	४३७७०
१६३	०	०
१६४	२	२०००
१६५	०	०
१६६	०	०
१६७	४४	१५००
१७२	१	०
१७३	०	०
१७४	७	२०००
१७५	०	०
१७६	०	०
180(g)	0	0
Total	**18,836**	**72,90,840**